न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः— पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 01/2019 अपील

रामप्रहलाद पिता मांगीलाल तेली, आयु 50 साल, निवासी बरड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा।

– अपीलाण्ट

//बनाम//

1. सरपंच, ग्राम पंचायत गादोला, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा।

– रेस्पोण्डेंट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील

नामान्तरकरण विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 857, दिनांक 04.01.2008

न्यायालय तहसीलदार, निम्बाहेड़ा

निर्णय **दिनांक 24.02.2020**

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी अपीलाण्ट के पिता मांगीलाल पिता झुमा तेली, निवासी बरड़ा के खातेदारी व कब्जे काश्त की ग्राम बोरखेड़ी की खाता संख्या 40 की आराजी नं. 180, 189, 386, 1168/368, 1169/387 कुल किता 5 कुल रकबा 1.8100 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो अपीलाण्ट के कब्जे काश्त की है। मांगीलाल जी का देहान्त हो जाने पर उनकी विरासत का इन्तकाल राजस्व अभियान–2008 में खोला गया जिसमें उनके 2 पुत्र व पत्नी के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया गया। मांगीलाल के दो पुत्र अपीलार्थी रामप्रहलाद व राधेश्याम तथा पत्नी बसन्ती बाई पत्नी मांगीलाल तेली के नाम खोला जाना चाहिए था लेकिन भूलवश प्रार्थी का नाम उक्त नामान्तरकरण में कारूलाल लिख दिया गया जबकि प्रार्थी अपीलाण्ट का नाम रामप्रहलाद पिता मांगीलाल है। अपीलाण्ट के सभी पहचान के दस्तावेज भी रामप्रहलाद पिता मांगीलाल के नाम से बने हुए हैं इसलिए उक्त इन्तकाल खारीज किया जाकर मेरा वास्तविक नाम का दुसरा इन्तकाल खोला जावे। पूर्व में अपीलाण्ट को जानकारी नहीं थी। लोन लेने हेतु नकल प्राप्त की तो जानकारी हुई। जानकारी होते ही अपील प्रस्तुत की जा रही है जो जानकारी से अन्दर मियाद है। अन्दर मियाद हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर प्रार्थी अपीलाण्ट के नाम नवीन नामान्तरकरण दर्ज किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोण्डेंट की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

अपीलाण्ट ने अपनी अपील के साथ नकल जमाबन्दी ग्राम बोरखेडी की खाता संख्या 40 संवत 2071-74, नामान्तरकरण संख्या 857 दिनांक 04.01.2008 की प्रमाणित प्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, राशनकार्ड की छायाप्रति, विद्यालय प्रवेशानुज्ञा (ट्रांसफर सर्टिफिकेट) की छायाप्रति तथा अपीलाण्ट के भाई राधेश्याम पिता मांगीलाल तेली, निवासी बरड़ा का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अपील 11 वर्ष के बाद प्रस्तुत की गई है परन्तु अपीलाण्ट का कथन है कि पूर्व में उसे इस बिन्दु की कोई जानकारी नहीं थी। लोन लेने हेतु नकल प्राप्त की तब जानकारी हुई। अपीलाण्ट ग्रामीण अंचल का कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है जिसे कानूनी बारिकीयों की जानकारी नहीं होना स्वीकार्य है। अभियान के दौरान किये गये नामान्तरकरण में सहवन से प्रार्थी अपीलाण्ट का नाम कालूलाल दर्ज होना बताया है जबकि वास्तविक नाम रामप्रहलाद है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में भी अपीलाण्ट का नाम रामप्रहलाद ही दर्ज है। अपीलाण्ट के भाई ने भी शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपीलाण्ट का नाम रामप्रहलाद दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना प्रकट किया है। अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपील अपीलाण्ट भी स्वीकार योग्य है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेड़ा का निर्णय नामान्तरकरण संख्या 857, दिनांक 04.01.2008 निरस्त किया जाता है। मृतक मांगीलाल की विरासत में अपीलाण्ट का नाम कारूलाल के बजाय रामप्रहलाद दर्ज करते हुए नवीन नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 24.02.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.07.03 18:12:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: